

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय  
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा-2025

शिविर- चौथ का बरवाड़ा

प्रकरण संख्या:- 144/2025

दिनांक:- 4/1/2025

श्री जसलोक हलुनिया  
पुत्र रामजीलाल हलुनिया

उनवान

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का CMB:A भू. अ. नि. CKB एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम चौथ का बरवाड़ा प 0 ह 0 CKB:A की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 792 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	हिस्सा <u>पुरस्ती</u>	① <u>जसलोक हलुनिया पुत्र रामजीलाल हलुनिया हि-1/5 जाति चौथ</u> ② <u>जसलोक हलुनिया पुत्र रामजीलाल हलुनिया हि-1/5 जाति चौथ</u>	① <u>जसलोक हलुनिया पुत्र रामजीलाल हलुनिया हि- पूर्ण जाति चौथ</u>

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री जसलोक हलुनिया पुत्र रामजीलाल हलुनिया
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा  
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)